प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्तिगण।

दांडिक अपील क्र. 522/1991

अपीलार्थी रामाधीन

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश (वर्तमान में छत्तीसगढ़) राज्य

विचार हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 12.1.2010 को सूचीबद्ध किया जाए

सही/-

मनींद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 522/1991

अपीलार्थी : रामाधीन,उम्र लगभग 22 वर्ष,

पिता भरोसा गोंड, निवासी-छिनभर्री,

पुलिस थाना अर्जुनी, जिला-रायपुर

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा पुलिस थाना

अर्जुनी, जिला-रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2), दांडिक प्रकरण संहिता

उपस्थित:

श्री एम.डी.धोते, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री रविंद्र अग्रवाल पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य/उत्तरवादी।

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्तिगण।

निर्णय

(दिनांक 12 जनवरी, 2010 को पारित)

<u>न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव के अनुसार।</u>

1. यह दांडिक अपील, दिनांक 29 अप्रैल 1991 को पारित दोषसिद्धि निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसे सत्र प्रकरण क्रमांक 238/1988 में माननीय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास का दंड दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि दिनांक 15.07.1988 को अभियोक्त्री अपने गाँव से बाहर स्थित खेत में अपनी सहेलियों मालती केवट और जानकी बाई के साथ शौच हेतु गई थी। वापस लौटते समय अपीलार्थी तथा उसके साथी सिउक केवट ने उन्हें रोका। अभियोजन पक्ष का कथन है कि अपीलार्थी ने पीड़िता के हाथ पकड़ लिए, उसे घसीटा, उसके वस्त्र उतार दिए और उसके साथ जबरदस्ती मैथुन किया। कुछ समय पश्चात मालती का भाई रिसाऊ, शोभा, धनराज और धानसिंह वहाँ आ गए, जिनके आने पर अपीलार्थी वहाँ से भाग गया। इसके बाद अभियोक्त्री, मालती, रिसाऊ के साथ गाँव वापस आई और घटना की जानकारी गाँव के निवासियों को दी, जिनमें सियाराम और बुद्धराम शामिल थे, और गाँव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें बड़ों ने सलाह दी कि घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई जाए। इसके बाद अभियोक्त्री, मालती और उसका भाई पुलिस थाने गए और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा 17.07.1988 को समय 14:05 बजे थाना अर्जुनी में अपराध घटित होने की सूचना देते हुए दर्ज कराई गई। तत्पश्चात उसी दिन अभियोक्त्री की पेटीकोट एवं साड़ी, जिन पर दाग होने का कथन किया गया था, पुलिस द्वारा

अभियोक्त्री के कब्जे से जब्त की गई, जिसका विवरण प्रदर्श पी-2 में अंकित है। पुलिस ने दिनांक 18.07.1988 को अपीलार्थी से एक अंडरवियर जब्त किया, जिसमें वीर्य के दाग पाए जाने का कथन है, जिसका विवरण प्रदर्श पी-3 में दर्ज है। प्रदर्श पी-4ए के अंतर्गत पुलिस ने दिनांक 17.07.1988 को अभियोक्त्री के योनि स्राव युक्त एक सीलबंद स्लाइड जब्त की। प्रदर्श पी-5 दिनांक 17.07.1988 का ज्ञापन एस.डी.ओ., धमतरी को अभियोक्त्री के निजी अंगों के परीक्षण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा गया तथा अनुमोदन प्राप्त हुआ। अभियोक्त्री के पिता भगवान की सहमति प्रदर्श पी-6 के अंतर्गत प्राप्त कर, अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु डॉ. एस. सिंघल (अ.सा.2) के पास पुलिस स्टेशन अर्जुनी के आरक्षक रामदुलाल के साथ प्रदर्श पी-7 के ज्ञापन के माध्यम से भेजा गया। परीक्षण उपरांत, चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 के रूप में दी गई। रिपोर्ट में उल्लेखित है कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष से अधिक प्रतीत होती है; द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्ण रूप से विकसित पाए गए तथा जघन के बाल भी उपस्थित थे। चिकित्सक ने यह भी उल्लेख किया कि वक्ष अथवा पीठ पर किसी प्रकार की बाह्य चोट के चिन्ह नहीं पाए गए। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया कि योनि में एक अंगुल प्रवेश प्रतिरोध के साथ संभव हुआ तथा योनिच्छद अक्षत पाई गई; निजी अंगों पर किसी प्रकार की बाह्य चोट, रक्त अथवा वीर्य के धब्बे नहीं पाए गए। बालों में किसी प्रकार की उलझन भी नहीं थी। आयु के संबंध में चिकित्सक की राय थी कि अभियोक्त्री लगभग 17 से 18 वर्ष की आयु की है, तथा निश्चित राय हेतु रेडियोलॉजिस्ट से परीक्षण करवाने की सलाह दी गई। मैथुन के संदर्भ में यह कहा कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त नहीं है। योनि स्राव के स्लाइड तैयार कर उन्हें पैक एवं सील किया गया। अंतःवस्त्रों का भी परीक्षण कर उन्हें पैक व सील कर रासायनिक परीक्षण हेतु सुपुर्द किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी को दिनांक 18.07.1988 को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु डॉ. ओ. एस. बाजपेई (अ.सा.3) के पास प्रदर्श पी-8 के तहत भेजा गया, जिन्होंने अपीलार्थी का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी--4 के रूप में तैयार की। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया कि अपीलार्थी के शरीर, छाती, जांघ अथवा जननांगों पर संघर्ष के कोई चिन्ह, जैसे कि चोट, खरोंच या दाँतों के निशान नहीं पाए गए। जघन के बालों में वीर्य के उत्सर्जन के कारण कोई जमाव नहीं पाया गया; अपीलार्थी के शरीर पर किसी अन्य के बालों की उपस्थिति नहीं पाई गई; जननांगों पर किसी प्रकार का खरोंच या चीरा नहीं पाया गया। आगे रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि संक्रमण के कोई प्रमाण नहीं मिले। डॉक्टर ने अपनी राय में कहा कि अपीलार्थी यौन संबंध स्थापित करने में सक्षम है। यह भी दर्ज किया गया कि परीक्षण हेतु लाई गई अंतःवस्त्र पर रक्त अथवा वीर्य के कोई दाग नहीं पाए गए। उक्त वस्त्र को पुनः सील कर आगे रासायनिक परीक्षण के लिए आरक्षक को सौंप दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण करने हेतु, अभियोक्त्री को प्रदर्श पी-9 के ज्ञापन के तहत रेडियोलॉजिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 में अभियोक्त्री की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष बताई गई।

6. जांच पूर्ण करने के पश्चात, थाना अर्जुनी की पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध घटित होने का आरोप लगाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी की न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। उक्त न्यायालय ने मामले को सत्र न्यायाधीश, रायपुर की न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया, जिसे सत्र परीक्षण क्रमांक 238/1988 के रूप में

पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात यह मामला विचारण हेतु पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर की न्यायालय को हस्तांतरित किया गया।

7. माननीय परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप इस आधार पर निर्मित किया कि उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का अपराध किया है, इस प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। अपीलार्थी ने अपने अपराध से इंकार किया।

8. अपीलार्थी की दोषसिद्धि स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 12 साक्षियों का परीक्षण किया। अपीलार्थी का परीक्षण माननीय परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन में उसने किसी भी अपराध को करने से इनकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताया। अपीलार्थी का बचाव यह रहा है कि ग्राम में धीमर एवं गोंड समुदायों के मध्य समूह प्रतिद्वंद्विता के कारण उसे वर्तमान अपराध में झूठा फँसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. माननीय परीक्षण न्यायालय ने अभियोक्त्री की अस्थिकरण परीक्षा तथा डॉ. एस. सिंघल (अ.सा.-2) की चिकित्सीय रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए यह माना कि अभियोक्त्री वयस्क है, जिसकी आयु 18 से 19 वर्ष के मध्य है। माननीय परीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के तहत यह माना कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ मैथुन किया है और इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत अपराध किया है। ऐसे दोष के निष्कर्ष पर

पहुँचने में परीक्षण न्यायालय ने मुख्य रूप से अभियोक्त्री तथा साक्षी मालती (अ.सा.-4), रिसाउ (अ.सा.-5), चमरा (अ.सा.-7), धानसिंह (अ.सा.-8) और शोभाराम (अ.सा.-9) की गवाही पर निर्भर किया। माननीय परीक्षण न्यायालय ने यह अवलोकन करते हुए कि अभियोक्त्री की गवाही तथा उसके द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विरोधाभास नहीं है, यह निष्कर्ष दर्ज किया कि केवल इस आधार पर कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई गई तथा योनिच्छद भी अखंड पाया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अपराध नहीं हुआ था। यह भी अभिलेखित किया गया कि भले ही रासायनिक परीक्षण में वस्त्रों अर्थात साड़ी एवं पेटीकोट पर शुक्राणु की उपस्थिति नहीं पाई गई, फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मैथुन नहीं हुआ था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव संस्करण, जिसे एकमात्र बचाव साक्षी विश्वेश्वर (अ.सा.-1) ने प्रस्तुत किया था, को भी परीक्षण न्यायालय ने अविश्वसनीय मानकर अस्वीकार कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री के बयान पर निर्भर होकर अपीलार्थी को दोषी ठहराने में गंभीर अवैधता की है। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का साक्ष्य बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया कि जिस प्रकार से अपराध घटित होने का आरोप लगाया गया है — अभियोक्त्री को घसीटने, उसके द्वारा प्रतिरोध करने, बलपूर्वक मैथुन करने, रक्तस्राव होने, वीर्य स्राव एवं वस्त्रों पर दाग पड़ने आदि — इन सभी तथ्यों का अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए चिकित्सीय साक्ष्यों से कोई सहयोग नहीं मिलता। उन्होंने यह भी तर्क किया कि अभियोक्त्री द्वारा अपने साक्ष्य में कही गई संपूर्ण कहानी असत्य है, क्योंकि यदि उसका कथन सही माना जाए तो अभियोक्त्री के शरीर के बाहरी अंगों पर ही नहीं बल्कि उसके निजी अंगों पर भी रक्त के धब्बे तथा आंतरिक एवं बाह्य योनि-चोटों के

निशान तथा वस्त्रों पर वीर्य के दाग अवश्य मिलते। उन्होंने आगे तर्क दिया कि डॉ. एस. सिंघल (अ.सा.-2) के साक्ष्य एवं अपीलार्थी के बचाव से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को झूठा फँसाया गया है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है, क्योंकि उपर्युक्त भौतिक विसंगतियों के अतिरिक्त चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विलंब से दर्ज की गई है तथा अभियोक्त्री का योनिच्छद अक्षत पाई गई। अन्य गवाहों के बयान भी परस्पर विरोधाभासी हैं। समग्रता में देखा जाए तो अभियोजन पक्ष अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है तथा इस प्रकार की अस्थिर एवं अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर किया गया दोषसिद्धि आदेश विधि की दृष्टि में अवैध है और न्यायसंगत नहीं है। अतः अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, राज्य की ओर से माननीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

12. हमने विचारपूर्वक विचाराधीन न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा प्रकरण के समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया है।

13. अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा कि जब वह अपने गाँव के बाहर शौच के लिए मालती एवं जानकी के साथ खेत गई थी, और वापसी के समय, अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया। प्रतिरोध करने के बावजूद अपीलार्थी ने उसे नहीं छोड़ा, जिस पर अभियोक्त्री ने जानकी से कहा कि वह गाँव जाकर ग्रामवासियों को सूचना दे। अभियोक्त्री ने यह भी कहा कि अपीलार्थी उसे लगभग 200 गज दूर स्थित बयारा में घसीट कर ले गया। उक्त बयारा रजाऊ किसान का था। उसने आगे कथन किया कि बयारा में उसे ज़मीन पर पटक दिया गया और उसके साथ जबरन मैथुन किया गया। उसने प्रतिरोध किया, परंतु उसके हाथ-पैर पीछे

की ओर दबा दिए गए और उसका मुँह भी बंद कर दिया गया। बलात्संग के पश्चात्, वीर्य स्खलन उसके वस्त्रों एवं फर्श पर गिरा। अभियोक्त्री ने यह भी कहा कि जब उसने शोर मचाया तो रिसाऊ, सोभराम, धनसिंह और धनराज वहाँ आ गए तथा अपीलार्थी को बयारा में ही पकड़ लिया गया और गाँव ले जाया गया। अभियोक्त्री ने कथन किया कि जब अपीलार्थी पकड़ा गया, उस समय वह उसके साथ मैथुन कर रहा था। आगे उसने कहा कि गाँव पहुँचने पर उसने घटना के बारे में ग्राम सरपंच – सियाराम एवं ग्राम पटेल – बुधराम को बताया और उसी दिन ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई। अगले दिन भी पंचायत की बैठक हुई। उसने कहा कि उक्त पंचायत बैठक में अभियोक्त्री एवं अपीलार्थी दोनों उपस्थित थे, जहाँ उसने अपीलार्थी के कृत्य का वर्णन किया। इस पर सरपंच सियाराम एवं पटेल बुधराम ने कहा कि वे इस संबंध में असमर्थ हैं और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि वह अभियुक्त को पहले से नहीं जानती थी, परंतु ग्राम पंचायत की बैठक में उसे पता चला कि उसका नाम रामाधीन है तथा वह छिनभर्री गाँव का निवासी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री ने यह कथन किया कि उसे पटक दिया गया था। उसने आगे यह बयान दिया कि जब वह गिरी, तो उसके हाथ, कोहनी तथा सिर पर चोटें आईं। उसने यह भी कथन किया कि लिंग प्रवेशन के समय मैथुन में उसे अत्यधिक पीड़ा हुई, जिससे उसके निजी अंग से रक्तस्राव हुआ तथा उसके वस्त्र भी रक्त से भीग गए। अभियोजिका ने यह भी कहा कि मैथुन लगभग 15 से 20 मिनट तक चली। अभियोजिका ने यह भी बयान दिया कि घटना के दिन ही वह अपने पिता तथा अपनी सहेली के भाई के साथ पुलिस थाने गई थी, जहाँ उसका अंगूठे का निशान लिया गया था, तथा घटना का विवरण उसकी सहेली के भाई द्वारा पुलिस को बताया गया था। तत्पश्चात उसने यह भी कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि रिपोर्ट दो दिन बाद दर्ज की गई थी या नहीं।

14. डॉ. एस. सिंघल (अ.सा.2), जिन्होंने कथित घटना के बाद अभियोक्त्री का परीक्षण किया था, ने यह कहा कि अभियोक्त्री की योनि में एक उंगली भी कठिनाई से प्रविष्ट हो पाई। अपने प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 के संबंध में गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि अभियोक्त्री के जननांगों पर न तो कोई रक्त के दाग पाए गए और न ही किसी प्रकार की चोट पाई गई। यह कहते हुए कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त नहीं थी, उन्होंने यह भी कहा कि मैथुन हुआ या नहीं, इस संबंध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता।

प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह कहा कि योनिच्छद अक्षत पाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यौन संबंध के समय प्रतिरोध किया गया हो और बलात्संग से बचने का प्रयास किया गया हो, तो व्यक्ति को चोट लग सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोक्त्री के शरीर पर उन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं मिली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. डॉ. ओ. एस. बाजपेयी (अ.सा.3), जिन्होंने अपीलार्थी की जांच की थी, ने यह बताया कि अपीलार्थी के शरीर पर दाँतों के काटने या किसी अन्य प्रकार की चोट जिससे हाथापाई प्रमाणित होता, नहीं पाया गया। यह भी कहा गया कि जननांग क्षेत्र के बालों पर किसी प्रकार का जमाव नहीं पाया गया। उन्होंने यह भी बयान दिया कि अपीलार्थी के जननांगों पर किसी प्रकार की खरोंच, या किसी अन्य प्रकार की चोट नहीं थी। अभियुक्त से जब्त की गई अंतःवस्त्र पर भी किसी प्रकार के वीर्य दाग या रक्त के निशान नहीं पाए गए।

प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह कथन किया कि यदि बलात्संग किया गया हो और पीड़िता स्वयं को इस कृत्य से बचाने का प्रयास करे, तो यह स्वाभाविक है कि उसे चोट लग सकती है।

16. डॉ. एस. सिंघल (अ.सा.2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अभियोक्त्री को उसके शरीर के किसी भी भाग पर अथवा उसके निजी अंगों पर किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी, जबकि अभियोक्त्री ने अपने बयान में यह कहा है कि उसे अभियुक्त ने जबरदस्ती लगभग 200 गज तक घसीटा, उसे बयारे में फेंक दिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ मैथुन किया, जिसका उसने प्रतिरोध किया। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोक्त्री के कथन को पूर्णतः असत्य सिद्ध करता है। अभियोक्त्री ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि मैथुन प्रवेश में उसे अत्यधिक पीड़ा हुई और रक्तस्राव प्रारंभ हो गया, किन्तु अभियोक्त्री का यह कथन चिकित्सीय साक्ष्य से बिल्कुल भी समर्थित नहीं है, क्योंकि उसके निजी अंगों पर किसी प्रकार की चोट, खरोंच अथवा चकत्ते तक नहीं पाए गए है तथा योनि की दीवारों पर भी किसी प्रकार की चोट का अभाव पाया गया है। महिला चिकित्सक के इस कथन के प्रकाश में कि "योनि में एक उंगली कठिनाई से प्रवेश करती है", अभियोक्त्री के इस संस्करण को स्वीकार करना कठिन है कि उसके साथ उसकी गवाही में वर्णित प्रकार से मैथुन किया गया, जबकि यह तथ्य चिकित्सकीय साक्ष्य से बिल्कुल भी पुष्टी नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध या स्थापित किया जा सके कि अभियोक्त्री के पहने हुए वस्त्रों पर रक्त या वीर्य के दाग अथवा शुक्राणु पाए गए हों। इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान जब्त की गई योनि स्लाइड्स, जिन्हें रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था, उनमें भी कोई शुक्राणु नहीं पाया गया, जिससे की मैथुन स्थापित हो सके। अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए अभियुक्त के अंतर्वस्त्रों पर रक्त के धब्बे, योनि स्राव या वीर्य के धब्बे पाए गए हों। डॉ. ओ.एस. बाजपेयी (अ.सा.-3) ने भी

अपने बयान में कहा है कि अपीलार्थी के शरीर के किसी भी भाग पर कोई चोट नहीं पाई गई, न ही उसके निजी अंगों या जननांगों पर कोई खरोंच या चोट के निशान पाए गए।

18. बलात्संग के मामले में दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने की निष्कर्ष यह है कि अभियोक्त्री का बयान विश्वसनीय और विश्वास उत्पन्न करने वाला होना चाहिए; वह विश्वास के योग्य होना चाहिए तथा उसमें कोई मूलभूत दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। साथ ही, संभाव्यता के कारक भी उसे अविश्वसनीय नहीं बनाते हों। वर्तमान मामले में प्राप्त चिकित्सीय साक्ष्य अभियोक्त्री के बयान का पूर्णतः खंडन करता है तथा संपूर्ण अभियोजन पक्ष के मामले को संदेहास्पद बना देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अपीलार्थी/अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने परीक्षण में यह कथन किया कि उसे अपराध में झूठा फँसाया गया है, जो कि ढीमर एवं गोंड समुदायों के मध्य समूह प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। अपने बचाव में अपीलार्थी ने विश्वेश्वर (ब.सा.–1) को परीक्षित किया, जिसने यह साक्ष्य दिया कि अभियोजन के गवाहों के अपीलार्थी से शत्रुतापूर्ण संबंध थे, क्योंकि अपीलार्थी मत्स्य विभाग में कार्यरत था और अक्सर अभियोजन गवाहों — अर्थात् रिसाऊ, मालती, गोदावरी, धानसिंह, धनसिंह, चमरा एवं बुधराम — को अवैध मछली पकड़ने से रोकता था। चूँकि अभियोक्त्री का बयान चिकित्सीय साक्ष्य से किसी प्रकार समर्थित नहीं है, अतः हम अभियोक्त्री (अ.सा.1), मालती (अ.सा.4), रिसाऊ (अ.सा.6), धानसिंह (अ.सा.8) एवं शोभराम (अ.सा.9) के बयानों के आधार पर माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्ष को अनुमोदित नहीं कर सकते। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश विधि के अनुसार न्यायसंगत नहीं है, अतः उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित है।

20. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकृत की जाती है। अपीलार्थी रामाधीन की भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया जाता है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आरोपित अपराध से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर है, अतः उसकी जमानत के बंध-पत्र को तत्काल प्रभाव से उन्मोचित किया जाता है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

सही/– **सही/–**

धीरेंद्र मिश्रा **मनींद्र मोहन श्रीवास्तव**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....